

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 87/2017)

(संस्थित दिनांक :- 03/03/17)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. हीरालाल कुशवाह पुत्र भजनलाल कुशवाह, उम्र 45 वर्ष।
निवासी :- बलीशाह दरगाह के पीछे वार्ड क्रमांक 14 कस्बा मौ,
थाना :- मौ, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 05/02/2018 को घोषित)

01. आरोपी हीरालाल पर धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 15/02/2017 को दोपहर लगभग 12:30 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी(1) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 15/02/2017 को थाना मौ के प्रधान आरक्षक क्रमांक 922 वीरेन्द्र शर्मा को कस्बा भ्रमण हेतु आरक्षक केशव सिंह भदौरिया के साथ गये हुये थे, भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गल्ला मण्डी में छुरी लिये अपराध करने की नियत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर सटपटाने लगा, उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी दाईं तरफ कमर में एक लोहे का छुरा, जिसमें काट का बेट लगा था, खुरसे मिला। आरोपी से उक्त लोहे का छुरा रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हीरालाल पुत्र भजन सिंह कुशवाह, उम्र 45 वर्ष, निवासी :- बलीशाह के पीछे वार्ड क्रमांक 14 मौ का होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध

अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से विधिवत् लोहे का छुरा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/2017 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षीगण संजीव शर्मा एवं आरक्षक केशव सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त हीरालाल के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी हीरालाल ने दिनांक :- 15/02/2017 को दोपहर लगभग 12:30 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी(।) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी वीरेन्द्र कुमार शर्मा अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 15/02/2017 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह तथा उसके साथ केशव सिंह कस्बा भ्रमण के लिए निकले थे। जैसे ही वह लोग बेहट रोड़ मण्डी के पास पहुँचे, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति छुरा लिये गल्ला मण्डी में घूम रहा है। साक्षी आगे कहता है कि मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर छटपटाने लगा, जिसे उसने पकड़ा। आरोपी की तलाशी लेने पर

उसकी कमर में दाहिनी तरफ एक लोहे का छुरा मिला। आरोपी से उक्त लोहे का छुरा रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हीरालाल, निवासी :- बलीशाह के पीछे वार्ड क्रमांक 14 मौ का होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से आरोपी से मौके पर ही साक्षीगण के समक्ष छुरी को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि थाना वापस आकर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/2017 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने साक्षी संजीव शर्मा एवं आरक्षक केशव के कथन लेखबद्ध किये थे। अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी थाना प्रभारी को सुपुर्द की गई थी। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चाकू वही चाकू है, जो उसके द्वारा मौके पर आरोपी से जब्त किया गया था, उक्त चाकू आर्टिकल ए-01 है।

08. अभियोजन साक्षी केशव सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 15/02/2017 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह इलाका गश्त हेतु प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा के साथ गया था। साक्षी आगे कहता है कि कस्बा भ्रमण के दौरान दीवान जी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गल्ला मण्डी मौ में अपराध करने की नियत से छुरी लेकर घूम रहा है। साक्षी आगे कहता है कि मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु वह लोग मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे उसने, दीवान जी एवं एक अन्य साक्षी संजीव कुमार शर्मा की मदद से घेरकर पकड़ा। आरोपी की दीवान जी द्वारा तलाशी लेने पर उसकी कमर में दाहिने तरफ एक धारदार छुरी मिली, इस वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हीरालाल पुत्र भजनलाल कुशवाह, निवासी : बली शाह की दरगाह के पीछे मौ का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से मौके पर दीवान जी द्वारा उसके समक्ष छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में जब्तीकर्ता प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 का कहना है कि वह थाने से भ्रमण के लिए दोपहर 12:20 बजे निकले थे। जबकि उनके कथित हमराह आरक्षक केशव अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह थाना मौ से भ्रमण हेतु दीवान जी वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 के साथ सुबह 09-09:30 बजे निकले थे। इस प्रकार जब्तीकर्ता वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 एवं

आरक्षक केशव अ.सा.03 आरोपित घटना की दिनांक को घटनास्थल पर पहुँचने के लिए थाना मौ से कितने बजे निकले थे, इस वावत् जब्तीकर्ता वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 एवं आरक्षक केशव अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में लगभग तीन घण्टे का अन्तर है, इस वावत् अभियोजन की ओर से कोई रवानगी रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रति या मूलप्रति आदि साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में आरोपित घटना के घटनास्थल पर पहुँचने के लिए थाने से निकलने के संबंध में उपरोक्त विरोधाभाषी साक्ष्य से अभियोजन कथा अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होती है।

10. जब्तीकर्ता वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 एवं जब्ती के साक्षी आरक्षक केशव अ.सा. 03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि जब्तीकर्ता वीरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 द्वारा आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किया था। यद्यपि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर नमूना सील अंकित है, परन्तु जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कहीं पर भी जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, उक्त तथ्य भी अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

11. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में वीरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी के पश्चात् उसने थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की और तत्पश्चात् साक्षी संजीव एवं केशव सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये और उसके बाद अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दी। प्रथमतः तो साक्षी संजीव शर्मा ने वीरेन्द्र शर्मा द्वारा उसका पुलिस कथन अंकित किये जाने के तथ्य से उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार किया है। द्वितीयतः यह उल्लेखनीय है कि वीरेन्द्र अ.सा.02 ने थाना प्रभारी द्वारा विवेचना सौंपे जाने के पूर्व उक्त साक्षीगण के कथन किस अधिकार से लेखबद्ध किये, यह उसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती के कथित साक्षी संजीव शर्मा अ.सा.01 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी हीरालाल से कोई छुरा जब्त होने एवं आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है, बल्कि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उससे थाने पर हस्ताक्षर कराये गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उक्त जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रकों में क्या लिखा था, यह उसे नहीं मालूम। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में साक्षी वीरेन्द्र अ.सा.02 एवं केशव अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में अत्यंत संदेहास्पद है और संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

12. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी हीरालाल ने दिनांक :- 15/02/2017 को दोपहर लगभग 12:30 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक

6312-6552-।।बी(।) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

अंतिम निष्कर्ष

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी हीरालाल के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी हीरालाल को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

15. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का छुरा मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद